भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2908

मंगलवार, 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड

2908. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड योजना (एसआईएसएफएस) को पुनः शुरू करने पर विचार कर रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अप्रैल 2021 में शुरू की गई एसआईएसएफएस के पिछले चरण के क्या परिणाम रहे हैं, जैसे कि वितरित की गई राशि, लाभान्वित स्टार्टअप्स की संख्या आदि;

(ग) एसआईएसएफएस का नवीनीकरण भारत में स्टार्टअप्स को किस प्रकार लाभान्वित करेगा;

(घ) एसआईएसएफएस वित्तपोषण के किन पहलुओं को कवर करता है; और

(ङ) ऋण सुलभता में आसानी के संदर्भ में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) को वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले चार वर्ष की अवधि के लिए 945 करोड़ रुपए के कार्पस के साथ मंजूरी दी गई थी। यह स्कीम स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 1 अप्रैल, 2021 से लागू है। इस स्कीम के तहत, संकल्पना के साक्ष्य, विचारों के प्रमाणीकरण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, उत्पाद विकास और परीक्षण और बाजार में प्रवेश और वाणिज्यीकरण जैसी गतिविधियों के लिए इन्क्यूबेटरों के माध्यम से पात्र स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन्क्यूबेटरों द्वारा स्टार्टअप्स को, लक्ष्य आधारित किस्तों में, उत्पाद विकास में प्रगति और बाजार में शुरूआत की दृष्टि से उपयुक्तता के आधार पर निधि का वितरण किया जाता है।

संवितरण की लक्ष्य-आधारित प्रकृति और स्वीकृत निधि का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए इन्क्यूबेटरों और स्टार्टअप्स द्वारा अपेक्षित समय को ध्यान में रखते हुए, इस स्कीम को हाल ही में, प्रतिबद्ध निधि के निरंतर वितरण की सुविधा प्रदान करने और इन्क्यूबेटरों और स्टार्टअप को अनुमोदित गतिविधियों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए, एक विस्तार प्रदान किया गया है।

31 जनवरी, 2026 तक, इस स्कीम के तहत 219 इन्क्यूबेटरों का चयन किया गया है और इन चयनित इन्क्यूबेटरों के लिए 945 करोड़ रुपए का पूरा कार्पस प्रतिबद्ध किया गया है और उन्हें 575 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। इसके अलावा, अनुमोदित इन्क्यूबेटरों ने इस स्कीम के तहत सहायता के लिए कुल 3,311 स्टार्टअप का चयन किया है।

(ङ): स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत, ऋण प्राप्त करना आसान बनाने के लिए, सरकार पात्र वित्तीय संस्थानों [सदस्य संस्थानों (एमआई)] के माध्यम से स्टार्टअप्स के ऋण वित्तपोषण के लिए स्टार्टअप्स हेतु ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) भी कार्यान्वित कर रही है। सीजीएसएस राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा संचालित है और इसे 1 अप्रैल, 2023 से प्रचालित किया गया है। 31 जनवरी, 2026 तक, सीजीएसएस के तहत स्टार्टअप उधारकर्ताओं को 925.90 करोड़ रुपए की राशि के 348 ऋणों की गारंटी दी गई है।

*****